भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD

(Commercial Circular No. 04 of 2018)

No.TC-II/2196/2016/Deaf&Dumb New Delhi, dated 12 .01.2018

The Principal Chief Commercial Manager,
All Zonal Railways.

Managing Director,
CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

CMD, IRCTC, New Delhi

Sub: Replacement of the words Blind, Deaf and Dumb

As per IRCA Coaching Tariff No. 26 Part-I (Vol.II) concession is admissible to completely blind persons, Deaf and Dumb persons (both afflictions together in the same person).

2. Ministry of Railways have now decided to replace the following words which are appearing in Rule No.101, Sl.No. 9 (1) (2) (3), 28, and Appendix 1/45 of IRCA Coaching Tariff No. 26, Part-I, Vol.II with new one to describe the nature of disability However, the other rules and regulations applicable for the 'Persons with Disabilities' shall remain the same.

S.No.	Existing word	To be replaced by
1	Blind	Person with Visual Impairment with total absence of sight
2	Deaf and Dumb	Person with Hearing and Speech Impairment totally (Both afflictions together in the same person)
3	Physically Challenged	Persons with Disabilities (Divyangjan)

The revised proforma for the certificate is enclosed herewith. The certificate already issued in the old proforma shall remain valid till the expiry of the validity period.

3. This will be implemented with effect from 01.02.2018.

4. Other terms and conditions shall remain the same.

5. CRIS, IRCTC & Zonal Railways may update the revised proforma on their website.

6. Zonal Railways may print the revised proforma and make available at all locations/ stations to avoid inconvenience. .Necessary instructions shall be issued to the all concerned.

(Shelly Srivastava)
Director Passenger Marketing
Railway Board

........2/-

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. CCM (PM)s, All Indian Railways.
2. CRB, MT, FC, Secretary, DG/RHS, Railway Board. AM(B), PED (Finance), AM(IT), AM(C), ED.(Vig), ED(A), EDF(C), ED(Chg.), ED(C&IS), EDTC(R), EDV(T), ED/Safety, DPR, JDTC(G) AND TC(CR), V(SS), PR, TG-I, TG-IV TG-V, & F(C) Branches, Railway Board.
3. MD, Centre for Railway Information System (CRIS), Chanakyapuri, New Delhi, for making necessary changes in the PRS and UTS softwares and website.
4. MD, IRCTC, 9th Floor, Bank of Baroda Building, 16, Sansad Marg, New Delhi for making necessary changes in IRCTC website..
5. Director General, Railway Staff College, Vadodara.
6. Managing Director, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No. 6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 014.
7. General Manager, Metro Railway, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata.
8. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
9. General Secretary, IRCA, Chelmsford Road, New Delhi for issue of necessary correction slip to Coaching Tariff No. 26 part-I (Vol.II)

(Shelly Srivastava)
Director Passenger Marketing
Railway Board

Concession Certificate for Persons with Disabilities(Divyangjan)

Concession certificate form for orthopaedically handicapped/paraplegic person/patients/ mentally retarded person/ person with visual impairment with total absence of sight/ person with hearing and speech impairment totally(both afflictions together in the same person)

Paste passport size photograph Duly signed and stamped by the issuing Doctor

This is to certify that Km/Shri/Smt. ________________ whose particulars are furnished below is a bonafide ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED/ PARAPLEGIC PERSON/ PATIENTS WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT / MENTALLY RETARDED PERSON WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT/ PERSON WITH VISUAL IMPAIREMENT WITH TOTAL ABSENCE OF SIGHT / PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER IN THE SAME PERSON)*

Particulars:

a) Address:________________________

b) Father's/Husband's Name:____________________________

c) Age: _____________________________________

d) Sex: _______________________________________

e) Nature of Handicap: (To be written by doctor whether the disability is temporary or permanent) :________________________________

f) Signature or thumb impression of the person seeking concession (not necessary for those with both hands missing or non-functional): ___________________________________

____

(Signature of Government Doctor#)

Place:_______________

Date:_______________

____________________ ________________________

Clear seal of Government Hospital# Seal containing full name and Registration Number of the Doctor#

*Strike out where not applicable.

#For PERSON WITH VISUAL IMPAIREMENT WITH TOTAL ABSENCE OF SIGHT, RMP/Head of institution for the blind recognized can also issue certificate for visual impairment(with total absence of sight).

1) The certificate should be issued only to those ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED/ PARAPLEGIC PERSON/ PATIENTS WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT / MENTALLY RETARDED PERSON WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT/ PERSON WITH VISUAL IMPAIREMENT WITH TOTAL ABSENCE OF SIGHT / PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER). The photo must be signed and stamped in such a way that doctor's signature and stamp appears partly on the photo and partly on the certificate.

2) For mentally retarded person/ PERSON WITH VISUAL IMPAIREMENT WITH TOTAL ABSENCE OF SIGHT / PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER), the certificate will be valid for five years from the date of issue. For temporary disability in the case of orthopaedically/ paraplegic persons, the certificate will be valid for 5 years and in case of permanent disability, the certificate will remain valid for (i) five years, in case of persons upto the age of 25 years, (2) ten years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (3) in case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerned persons. After expiry of the period of validity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate.

3) Photocopy of this certificate is accepted for the purpose of grant of concession. The original certificate will have to be produced for inspection at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded.

4) No alternation in the form is permitted.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

(2018 का वाणिज्यक परिपत्र सं.04)

सं.टीसी-II/2196/2016/डेफ एंड डंब नई दिल्ली, दिनांक 12.01.2018

प्रधान मुख्य वाणिज्यक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

प्रबंध निदेशक,
क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

सीएमडी, आईआरसीटीसी, नई दिल्ली

विषय: नेत्रहीन, मूक और बधिर शब्दों को प्रतिस्थापित करना।

आईआरसीए कोचिंग टैरिफ सं. 26 पार्ट-I (वॉल.II) के अनुसार पूरी तरह से नेत्रहीन व्यक्तियों, मूक और बधिर व्यक्तियों (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं) के लिए रियायत स्वीकार्य है।

2. रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित शब्दों, जो आईआरसीए कोचिंग टैरिफ सं.26, पार्ट-I, वॉल.II के नियम सं.101 क्र.सं.9 (1) (2) (3), 28 और परिशिष्ट 1/45 में दिए गए हैं, को निशक्तता व्यक्त करने वर्णन के लिए नए शब्दों से प्रतिस्थापित करने का विनिश्चय किया है। बहरहाल, 'निशक्तजनों' के लिए लागू अन्य नियम और विनियम वही रहेंगे।

क्र.सं.	मौजूदा शब्द	के द्वारा प्रतिस्थापित
1.	नेत्रहीन	पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति
2.	मूक और बधिर	पूर्ण रूप से श्रवण एवं वाग् दोष युक्त व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं)
3.	शारीरिक रूप से अक्षम	दिव्यांगजन

इसके साथ प्रमाणपत्र का संशोधित प्रोफार्मा संलग्न है। पुराने प्रोफार्मा में जारी किए गए प्रमाणपत्र वैधता अवधि के समाप्त होने तक वैध रहेंगे।

3. इसे 01.02.2018 से कार्यान्वित किया जाएगा।

4. अन्य निबंधन तथा शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

5. क्रिस, आईआरसीटीसी एवं क्षेत्रीय रेलें अपनी वेबसाइट पर संशोधित प्रोफार्मा को अपडेट करें।

6. क्षेत्रीय रेलें असुविधा से बचने के लिए संशोधित प्रोफार्मा का प्रिंट निकालकर सभी स्थानों/स्टेशनों पर उपलब्ध कराएं। सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(शैली श्रीवास्तव)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

सूचना एवं आवशयक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीसीएम(पीएम), सभी भारतीय रेलें।
2. सीआरबी, एमटी, एफ़सी, सचिव, महानिदेशक/आरएचएस, रेलवे बोर्ड, अपर सदस्य (बी), सलाहकार (वित्त), अपर सदस्य(सूचना प्रौद्योगिकी), अपर सदस्य (सी), सलाहकार (सतर्कता), कानि (ए), कानिएफ (सी), का नि (चेंज़िंग), का नि (सी एवं आईएस), कानिटीसी (आर), कानिवी (टी), का नि/संरक्षा, डी पी आर, जेडीटीसी (जी), और रेलवे बोर्ड की टीसी(सी आर), वी(एस एस), पीआर, टीजी-I, टीजी-IV, टीजी-V एवं एफ(सी) शाखाएँ।
3. पीआरएस और यूटीएस सॉफ्टवेर और वेबसाइट में आवश्यक बदलाव हेतु प्रबंध निदेशक, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस), चाणक्यपुरी, नई दिल्ली को।
4. प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी, 9वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली को आईआरसीटीसी में आवश्यक बदलाव हेतु।
5. महानिदेशक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6. प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट सं.6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 014
7. महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, 33/1, जे.एल. नेहरू रोड, कोलकाता।
8. रेल संरक्षा मुख्य आयुक्त, लखनऊ।
9. जनरल सेक्रेटरी, आईआरसीए, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को कोचिंग टैरिफ सं. 26 पार्ट-I (वॉल.II) के लिए आवश्यक शुद्धि पत्र जारी करने हेतु।

(शैली श्रीवास्तव)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

दिव्यांगजन के लिए रियायत प्रमाण पत्र

शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांगजन/अधरंग व्यक्ति/मरीजों/मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति/पूर्ण रूप से दृष्टिहीनता वाले व्यक्ति/पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति(एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) के लिए रियायती प्रमाणपत्र संबंधी फार्म

जारी करने वाले डॉक्टर द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किया गया एवं मोहर लगाया हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्री/श्रीमती -- जिसका विवरण नीचे दिया गया है वास्तव में **अस्थि विकृति से दिव्यांग/अधरंग व्यक्ति/मरीज है, जो बिना किसी सहचर की सहायता से यात्रा नहीं कर सकता/मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, जो सहचर के बिना यात्रा नहीं कर सकता/ पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्तिहै/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति है(एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ)***

विवरण:

क) पता :--

ख) पिता/पति का नाम :--

ग) आयु :--

घ) लिंग : --

ङ) दिव्यांगता किस प्रकार की है: (डॉ. द्वारा लिखा जाए कि अक्षमता अस्थायी या स्थायी है) --

च) रियायत मांगने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर या अगूंठे का निशान (जिनके दोनों हाथ नहीं है या काम नहीं कर सकते, उनके लिए आवश्यक नहीं): ------------------------------------

----

(सरकारी डॉ. के हस्ताक्षर #)

स्थान: ----------------------------

दिनांक:----------------------------

--   --

सरकारी अस्पताल की स्पष्ट मोहर #   मोहर में डॉ. का पूरा नाम और रजिस्ट्रेशन सं. #

* जहां लागू नहीं हो उसे काट दें।

पूर्ण दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए, आरएमपी/नेत्रहीनों के लिए मान्यता प्राप्त संस्था का प्रधान भी दृष्टिदोष के लिए (पूर्ण दृष्टिहीनता के साथ) प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

1) यह प्रमाणपत्र केवल **अस्थि विकृति से दिव्यांग/अधरंग व्यक्ति/मरीज जो बिना किसी सहचर की सहायता से यात्रा नहीं कर सकता/मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जो सहचर के बिना यात्रा नहीं कर सकता/ पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (दोनों अक्षमताएं), को जारी किया जाना चाहिए।** फोटो पर हस्ताक्षर और मोहर इस प्रकारलगी होनी चाहिए कि डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर आंशिक रूप से एक साथ फोटो पर और आंशिक रूप से प्रमाणपत्र पर हो।
2) मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों/ **पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक** हीन व्यक्तियों (दोनों अक्षमताएं एक साथ), के लिए यह प्रमाण पत्र जारी की गई तारीख से पांच वर्ष के लिए मान्य होगा। अस्थि विकृति से दिव्यांग और अधरंग व्यक्तियों के मामले में अस्थायी अक्षमता के लिए यह प्रमाणपत्र 5 वर्ष के लिए मान्य होगा और स्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाणपत्र (i) 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष (2) 26 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष (3) 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तियों के पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा। प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि समाप्त होने के बाद, व्यक्ति को नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है।
3) रियायत देने के लिए इस प्रमाण पत्र की फोटोप्रति भी स्वीकार की जाएगी। मूल प्रमाणपत्र रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान, यदि मांगा जाता है, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
4) इस फॉर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं है।

D:\SM\yearwise TC\year 2017\proforma divyang.docx